भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-154

दिनांक 21 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

विद्युत सुरक्षा मानकों में और अधिक सुधार

154. डॉ. अजित माधवराव गोपछड़ेः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दक्षिण कोरिया और क्वींसलैंड (ऑस्ट्रेलिया) से संबंधित विद्युत सुरक्षा कानूनों का अध्ययन करने के लिए प्राप्त सुझाव/अभ्यावेदन पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) उपरोक्त उल्लिखित कानूनों से ऐसे कौन-कौन से तत्व/मुद्दे पहचाने गए हैं जिन्हें देश में लागू करके विद्युत सुरक्षा मानकों को और बेहतर बनाया जा सकता है, विशेष रूप से देखते हुए कि कई आग लगने के मामले विद्युत शॉर्ट सर्किट के कारण होते हैं;

(ग) पिछले पाँच वर्षों के दौरान विद्युत सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकारों के साथ किए गए समन्वय, तथा केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई परामर्शों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार विद्युत सुरक्षा से संबंधित विधेयक लाने पर विचार कर रही है ताकि अमूल्य मानव जीवन की रक्षा की जा सके, यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) को सलाह दी गई है कि प्राप्त सुझावों और वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों की जाँच की जाए और, यदि आवश्यक हो, तो भारत सरकार द्वारा बल दिए गए जीवन सुगमता और व्यवसाय सुगमता के सिद्धांतों की पूर्ण रक्षा करते हुए हितधारकों के परामर्श से संबंधित विनियमों में संशोधन किया जाए।

(ग) और (घ) : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 53 (क) और धारा 177 (2) (ख) के प्रावधानों के अनुसार, सीईए ने विद्युत सुरक्षा सुनिश्चित करने और मानव जीवन की रक्षा के लिए समय-समय पर यथासंशोधित केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 को अधिसूचित किया है। सीईए द्वारा राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श करने के बाद दिनांक 8 जून, 2023 को इन विनियमों को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

इन विनियमों के प्रावधानों पर राज्य सरकारों के साथ बैठकों, सम्मेलनों और संगोष्ठियों के माध्यम से नियमित आधार पर चर्चा की जाती है। विद्युत सुरक्षा में बढ़ोतरी के उद्देश्य से राज्य सरकारों को भी परामर्श जारी किए जाते हैं।

****